

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 मई 2026 — ज्येष्ठ 6, शक 1948

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27 मई 2026

अधिसूचना

File No. GENS-2101/3918/2025-EXCISE (25).— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यालय का नाम, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा के साथ, सेवा प्रदान करने वाले उत्तरदायी पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अधीन सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)		सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
			कार्यालय का स्तर	समय सीमा			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कलेक्टर (आबकारी)	एफ.एल. 16(क) परिवहन अनुज्ञा पत्र	संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	05 दिवस	संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर
2	कलेक्टर (आबकारी)	सी.एस. 6(ख) परिवहन अनुज्ञा पत्र	संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	05 दिवस	संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27 मई 2026

File No. GENS-2101/3918/2025-EXCISE (25).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-05-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 27th May 2026

NOTIFICATION

File No. GENS-2101/3918/2025-EXCISE (25) .— In exercise of the powers conferred by Sections 3, 4, 5, and 7 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, notifies the name of office, services to be provided by the department as specified in the Schedule given below, along with the stipulated time limit for delivery of such services, the designation of the Designated Officer (post) responsible for providing the service, the Competent Authority, and the designation of the Appellate Authority, namely :-

SCHEDULE

S. No.	Name of Office	Services to be Provided under the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011.	Time Limit for Providing the Service (Working Days)		Designated Officer (post) Responsible for Providing the Service	Competent Authority	Appellate Authority
			Level of Office	Time Limit			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Collector (Excise)	F.L. 16(A) Transport Permit	Excise Officer In-charge of the Concerned District	05 Days	Excise Officer In-charge of the Concerned District	Excise Officer In-charge of the Concerned District	Collector
2.	Collector (Excise)	C.S. 6(B) Transport Permit	Excise Officer In-charge of the Concerned District	05 Days	Excise Officer In-charge of the Concerned District	Excise Officer In-charge of the Concerned District	Collector

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEVENDRA KUMAR BHARDWAJ, Special Secretary.